

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 170 / 10

संस्थापन दिनांक-15 / 07 / 2010

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,
शाखा गोहद द्वारा प्रबंधक लक्ष्मण सिंह मौर्य,
पुत्र रामजीत सिंह मौर्य 58 साल निवासी गोहद
परगना गोहद जिला भिण्ड

---पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक / निगरानीकर्ता

वि रु द्ध

आदिराम पुत्र भुलू जाटव 50 साल,
निवासी ग्राम कढोरे का पुरा थाना गोहद,
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

न्यायालय-श्री सुशील कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के परिवाद क्रमांक- / 10 जिला सहकारी
विरुद्ध आदिराम में पारित आदेश दि. 09 / 06 / 2010 से उत्पन्न दाण्डिक
पुनरीक्षण

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 07, अक्टूबर 2014 को पारित किया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-397 एवं 398 द.प्र.सं. के तहत न्यायालय श्री सुशील कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के परिवाद प्रकरण क्रमांक- / 10 जिला सहकारी विरुद्ध आदिराम में पारित आदेश दिनांक 9 / 6 / 10 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसमें याचिकाकर्ता / परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र धारा-203 द.प्र.सं. के तहत निरस्त किया गया ।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्राइवेट परिवादपत्र संबंधी मूल प्रकरण का विनिष्टीकरण हो चुका है और पुर्ननिर्माण की सामग्री उपलब्ध नहीं है ।
3. पुनरीक्षणकर्ता / याचिकाकर्ता / निगरानीकर्ता के निगरानी के निम्नानुसार आधार बताये हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में परिवादी ने

परिवाद पेश किया था, 138 निगोसियेबल इन्ट्यूमेंस एक्ट के तहत जो अभियोगपत्र पेश किया जाता है वह मात्र शपथपत्र के आधार पर दर्ज किए जाने का प्रावधान है, नोटिस की तिथि की गणना के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है । चैक नियत अवधि में जारी किया गया और अवधि के अनुसार ही बैंक भुगतान बाबत जमा किया गया था और नोटिस भी नियत अवधि में जारी किया गया, मात्र नोटिस के आधार पर अभियोगपत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है । किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का सही मूल्यांकन नहीं करके प्रकरण का खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। परिवादपत्र प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने परिवादपत्र खारिज करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है । निरस्त किया जावे ।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षणयाचिका के अनुरूप ही तर्क किए हैं ।

5. विचारणीय यह है कि—

1. “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 09/06/2010 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”

2. क्या, पुनरीक्षणकर्ता का परिवाद पर से अपराध का संज्ञान लिये जाने योग्य है ?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 1 व 2 का निराकरण

6.

उक्त विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया।

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी का परिवादपत्र जो कि धारा-138 निगोसिएबिल

इंस्ट्र्यूमेंट एक्ट के तहत अपराध का संज्ञान लिये जाने बाबत पेश किया गया था, उसे संज्ञान योग्य ना पाते हुए निरस्त किया है और आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आरोपी द्वारा परिवादी बैंक को जो चैक दिया गया था उसे परिवादी के बैंक के द्वारा 27/1/10 को बैंक में जमा किया गया तो दि.-29/1/10 को बैंक से यह सूचना मिली कि बचत खाता में पर्याप्त राशि ना होने के कारण भुगतान नहीं हो सका । इस संबंध में आरोपी को 25/2/10 को सूचनापत्र भेजना बताया गया, सूचनापत्र 25/2/10 है, जो चैक के माध्यम से 2/3/10 को भेजा गया है, जिससे बैंक से सूचना मिलने के उपरांत 32 वे दिन आरोपी को सूचना पत्र भेजा गया है, जो विधिक अवधि में नहीं पाया गया ।

9. चूंकि मूल प्रकरण विनिष्ठीकृत हो चुका है । ऐसे में मूल प्रकरण का पुर्ननिर्माण ना मौखिक कथन के आधार पर आलोच्य आदेश जो पारित हुआ था, उसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, और परिवाद का निरस्त हो जाना पूर्णतः विधि संम्बत माना जावेगा ।
10. ऐसी स्थिति में गुणदोषों पर यदि विचार करें तो पुनरीक्षण याचिका में जो आधार लिये गये हैं, उनका कोई विधिक मूल्य नहीं है, इसलिये ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि या भूल नहीं पायी जाती है तथा आलोच्य आदेश अवैधानिक, अनुचित या औचित्यहीन ऐसी स्थिति में नहीं पाया जाता है ।
11. फलतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाकर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

दिनांक 07/10/2014

आदेश मेरे बोलने पर टंकित

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)